न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 4/2020

सुरेश कुमार पुत्र मालचन्द जाति सैनी निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 14/11/2019 तहसीलदार कोटपूतली ब उनवानी सरकार बनाम सुरेश मुकदमा नं. 81/2019 बाबत खसरा नम्बर 617 रकबा 2.72 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता

निर्णय

दिनांक 3-3-2021

अपीलान्ट ने तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय 14/11/2019 ब उनवान सरकार बनाम सुरेश मु.नं. 81/2019 बाबत खसरा नम्बर 617 रकबा 2.72 किस्म गै.मु. रास्ता के विरूद्व तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि प्रार्थी/अपीलान्ट को न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर से एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के तहत् दिनांक 26/9/2019 को जारी किया हुआ प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि सम्वत् 2076 में प्रार्थी/अपीलान्ट ने ग्राम नारहेडा के आ. ख.नं. 617/2.72 वाके मौजा नारहेडा किस्म गै.मु. रास्ता वाके मौजा नारहेडा तहसील कोटपूतली में अवैध रूप से निम्बू का पेड लगाकर अपने खेत में शामिल कर अतिकमण कर रखा है जिस पर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को एल.आ एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। न्यायालय तहसीलदार के यहां अपीलान्ट उपस्थित होकर जवाब पेश किया। न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 14/11/2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए उक्त आराजी ख.नं. 617/2.72 है0 वाके मौजा नारहेडा किस्म गै.मु. रास्ता तहसील कोटपूतली उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये है तथा अतिकमण करने के आरोप में लगान का 1.20 का पचास गुना 60/– (साठ रू.) जुर्माना से दण्डित कर वसूली के आदेश पारित हुये है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा श्रीमान् न्यायालय हाजा के यहां अपील पेश की है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 14/11/2019 विधि विरूद्व तथ्यों के प्रतिकूल है तथा मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत होने से जैर अपील निरस्तनीय है।
3. यह है कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि 625/1 ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली में ही निम्बू के पेड लगाये हुये है। पटवारी हल्का द्वारा ख.नं. 617 का बिना सीमाज्ञान किये ही तथा भू.अ. निरीक्षक द्वारा बिना जांच किये ही रिपोर्ट पेश की गयी है। इस तथ्य पर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किये उक्त आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने है।

4. यह है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई भी किसी प्रकार का अतिकमण नहीं कर रखा है।

5. यह है कि अपीलान्ट ने प्रदीप पुष्कर रमाकान्त पिता सन्तलाल जाति महाजन ग्राम नारहेडा द्वारा ग्राम नारहेडा से ढाणी लताला जाने वाला सरकारी पथ पर बनी ग्रेवल सडकों उखाडने एवं पेडों को उखाडने की सूचना दी गयी थी। इस बाबत तहसीलदार को पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा रिपोर्ट दी गयी थी जिस पर तहसीलदार द्वारा आ.ख.नं. 460 व 473 वाके मौजा नारहेडा के खातेदारों द्वारा अतिकमण करने पर धारा 91 की कार्यवाही करने एवं उन्हें पाबन्द करने के आदेश दिये गये थे, जिससे भू.अ.निरीक्षक बलवीर सोनी पूर्व से ही उपरोक्त लोगों के पक्ष में था तथा प्रार्थी से नाराज हो गया इस कारणवंश झूठी रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष पेश कर दी एवं धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्व की गयी जो कतई गलत एवं निराधार है तथा न्याय के सद्वान्तों के विपरीत है, जबकि अपीलान्ट द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया।

6. यह है कि उक्त प्रकरण में ना तो कोई किसी प्रकार की साक्ष्य ली गयी और ना ही प्रार्थी को कोई साक्ष्य से जिरह करने का अवसर प्रदान किया। अपीलान्ट को बेवजह परेशान करने एवं झुठी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। इसलिए उक्त पारित निर्णय चलने योग्य नहीं है।

7. यह है कि अपीलान्ट आराजी ख.नं. 617/2.72 वाके मौजा नारहेडा किस्म गै.मु. रास्ते की आज भी नाप जोख व पत्थरगढी कराने को तैयार है। यदि नाप जोख बाद अपीलान्ट की एक इंच भूमि भी उक्त गै.मु. रास्ते में अतिकमण की आती है तो उसे छोडने को तैयार है।

8. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो मौके की रिपोर्ट तल्ब की गयी एवं ना ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया । पटवारी हल्का द्वारा कभी भी मौका नहीं देखा गया ना ही उक्त भूमि का नाप तौल किया मात्र कयास के आधार पर कार्यालय में बैठकर झुंठी रिपोर्ट पेश की है। उसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किये जो न्याय संगत नहीं है तथा बिना सुने कार्यवाही कर दिनांक 14/11/2019 को आदेश पारित किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त गै.मु. रास्ते की भूमि पर कोई अतिकमण नहीं किया है ना ही भविष्य में कभी करेगा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की गतल रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके देखे निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, जो अपील निरस्तनीय है।

10. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14/11/2019 को निर्णय पारित हुआ है। प्रार्थी को नकल दिनांक 05/12/2019 को मिली जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर अपील मय प्रार्थना-पत्र दफा-5 संलग्न कर श्रीमान् न्यायालय हाजा के यहां पेश की है जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। निर्धारित कोर्ट फीस पर अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर व उनवान सरकार बनाम

सुरेश मु.नं. 81/2019 बाबत खसरा नम्बर 617 रकबा 2.72 है. किस्म गै.मु. रास्ता पारित आदेश 14/11/2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपील मंजूर फरमायी जावें।

11. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश करने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी । रिपोर्ट समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु जरिये सम्मन नोटिस जारी कर तलबी करायी गयी, बाद तामील नोटिस प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किये गये।

12. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि पटवारी हल्का नारहेडा द्वारा ग्राम नारहेडा के आराजी ख.नं. 617 रकबा 2.72 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.04 है. भूमि पर गैर सायल/अपीलान्ट द्वारा नाजायज रूप से कब्जा कर निम्बू के पेड लगाये जाकर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट बिना मौका देखे एवं बिना नाप तौल तथा बिना सीमाज्ञान किये मात्र कयास के आधार पर पेश की गयी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायल/अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 14/11/2019 को निर्णय पारित कर मौके से बेदखली करने एवं लगान का पचास गुना जुर्माना कर वसूली के आदेश प्रदान किये है, जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा प्रदीप पुष्कर रमाकान्त पिता सन्तलाल जाति महाजन निवासी नारहेडा द्वारा ग्राम नारहेडा से ढाणी लताला जाने वाले सरकारी पथ पर बनी ग्रेवल सडकों उखाडने एवं पेडों को काटने की सूचना देने पर भू.अ.नि. बलबीर सोनी जो उनके पक्ष में थे नाराज होने पर अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व रिपोर्ट उक्त रास्ते बाबत अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी गयी, जबकि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रदीप महाजन वगैरह के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही और उन्हें पाबन्द कराने बाबत आदेश जारी किये गये थे, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा कयास के आधार पर कार्यालय में बैठकर झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी गयी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के तहत् प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी नोटिस जारी किये गये। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब प्राप्त किये तथा सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना मौका देखे एवं जांच किये बिना उक्त निर्णय दिनांक 14/11/2019 पारित कर दिये, जबकि न्याय का प्राकृतिक सिद्वान्त है कि पक्षकार को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जावे बिना सीमाज्ञान कराये पटवारी हल्का से बिना जिरह कराये उक्त निर्णय पारित किया है वह न्याय संगत नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/गैर सायल का उक्त भूमि पर कोई किसी प्रकार का कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं है। यदि सीमाज्ञान कराया जाता है बाद सीमाज्ञान अपीलान्ट का गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण एक ईंच भी पाया जाता है तो उसे छोडने को तैयार है। केवल भू.अ.निरीक्षक की द्वेवष्ता के कारण अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। उक्त झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही अमल में लायी जाकर गै.मु. रास्ते की भूमि से बेदखल करने एवं लगान के पचास गुना पैनल्टी के आदेश दिनांक 14/11/2019 पारित हुए है। उन्हें अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट की अपील को मंजूर की जावें।

13. बहस पैरोकार सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि गैर सायल/अपीलान्ट द्वारा ग्राम नारहेडा की भूमि ख.न. 617 रकबा 2.72 वाके मौजा नारहेडा किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि में 0.04 है. भूमि पर निम्बू के पेड लगाये जाकर अतिकमण कर भूमि का कब्जा कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा अतिकमण की रिपोर्ट पेश करने पर प्रकरण धारा 91 के तहत् दर्ज कर नियमानुसार गैर सायल की तलबी की जाकर प्रकरण में जवाब प्राप्त कर उक्त निर्णय 14/11/2019 को सरकार बनाम सुरेश मु.नं. 81/2019 किस्म गै.मु. रास्ता बाबत बेदखली एवं पैनल्टी वसूली के आदेश पारित किये गये है. जो पारित किया गया आदेश विधि संगत है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमावें।

14. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्यों एवं सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो प्रकरण एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 सरकारी भूमि गै.मु. रास्ता पर अतिकमण से सम्बन्धित है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष पटवारी हल्का नारहेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ग्राम नारहेडा के आराजी ख.नं. 617 रकबा 2.72 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.04 है. का नाजायज रूप से अतिकमण कर कब्जा कर निम्बू के पेड लगाये जाने बाबत पेश होने पर अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व धारा 91 के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ब उनवान सरकार बनाम सुरेश मु.नं. 81/2019 बाबत ख.नं. 617/2.72 से बेखली के एवं जुर्माना वसूली के आदेश पारित होना पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से अपीलान्ट/गैर सायल सुरेश कुमार पुत्र मालचन्द माली निवासी नारहेडा द्वारा ग्राम नारहेडा के ख.नं. 617/2.72 में 0.04 है. पर अवैध अतिकमण रास्ते की भूमि पर होना प्रमाणित है जिसे बेदखली किया जाना न्यायोचित है। यदि अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व कार्यवाही नहीं होगी तो रास्ता अवरूद्व हो जायेगा एवं क्षेत्र में असंतोष की स्थिति पैदा हो जायेगी तथा अतिकमण को बढावा मिलेगा इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश 14/11/2019 ब उनवान सरकार बनाम सुरेश मु.नं. 81/2019 बाबत खसरा नम्बर 617 रकबा 2.72 है. किस्म गै.मु. रास्ता यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार कोटपूतली को इस न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति तहरीर के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

16. यह निर्णय आज दिनांक 3-3-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)